अरविन्द बनाम पी. कुमारश
दीवानी वाद 121 / 14

30.08.2025 वकुलाय फरीकेन उपस्थित। आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी पर बहस उभय पक्षकारान सुनी गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया कि प्रश्नगत जायदाद के संबंध में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14.03.12 को 1450000/- रूपये तथा दिनांक 15.03.12 को 450000/-रूपये जो नकद प्रतिवादी ने वादी को अदा किये थे उस पर प्रतिवादी सं. 2 को सहायक निदेशक आयकर अन्वेषण जयपुर द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 133 के तहत जो नोटिस जारी किया गया था तथा उक्त नोटिस की पालना के अंदर प्रतिवादी द्वारा नियमित रूप से रखी गई चैक बुक को पेश किया गया था वह असल तथा जवाब दावा व बयान की कॉपी को पेश करना चाहता है उक्त दस्तावेज वाद बिन्दु को तय करने के लिये आवश्यक है तथा उक्त के लिये वादी को जिरह का अवसर प्राप्त होगा व उक्त दस्तावेज प्रतिवादी के चार्टड अकाउन्टेन्ट के पास थे जिन्हे वह पूर्व में प्राप्त नहीं किया जाा सका था अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दस्तावेजो को अभिलेख पर लेने का निवेदन किया गया। जिसका जवाब पेश कर निवेदन किया कि दस्तावेज किस प्रकार वाद में सुसंगत है यह साबित नहीं किया है अन्त में आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। बहस उभय पक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत असल कैश बुक दी एशियन माकेटिग को अभिलेख पर लिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक 10.09.2025 को पेश हो।

30.08.25

विकास सिंह चौधरी
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश
संख्या – 2, अजमेर